

-प्रेस विज्ञप्ति:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-07 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तागणों को सश्रम आजीवन कारावास व 70-70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.15 को वादी पूरण सिंह सैनी पुत्र स्व० गोविन्द सिंह निवासी मौ० कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1-जवाब पुत्र दंगल 2- करण पुत्र तेजपाल 3-तेजपाल पुत्र मुनिया उपरोक्त निवासीगण गोला घाट, कोतवाली सुल्तानपुर, उ०प्र० व 4-राजा उर्फ महजवी पुत्र सफीक अहमद निवासी सैदपुर हलवाना, गंगोह, सहारनपुर उ०प्र० ने वादी के पारिवारिक पौत्र के मकान के पीछे से सीढ़ी लगाकर चढ़कर मकान में घुसकर बच्चों व वादी को कमरे में बन्द कर व कुलवीर व भोपाल पुत्रगण धर्मवीर सैनी व श्रीमति ममता पत्नी धर्मवीर के साथ मारपीट कर गम्भीर चोट पहुँचाना व घर के समान लूटकर ले जाना व कुलवीर उम्र 35 वर्ष की एस०बी०डी० अस्पताल में मृत्यु हो जाने की सूचना पर मु०अ०स० 299/2015 धारा 396,412 भादवि में थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 35/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-07 स०पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-07 स०पुर द्वारा दिनांक 09.10.2020 को अभियुक्तगण जवाब पुत्र दंगल, करण पुत्र तेजपाल, तेजपाल पुत्र मुनिया व राजा उर्फ महजवी पुत्र सफीक को मु०अ०स० 29/2015 धारा 396,412 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
(सहारनपुर के पुलिसकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल)

थाना सदर बाजार चौकी कैम्प पर तैनात आरक्षी विनोद कुमार ने रोड पर गिरे मोबाइल फोन को उसके मालिक से संपर्क कर किया सुपुर्द, मोबाइल मालिक ने चौकी इंचार्ज समेत चौकी पर तैनात समस्त पुलिस कर्मियों की ईमानदारी के लिए की गई भूरी-भूरी प्रशंसा:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 08-10-2020 को श्री अनूप अहलूवालिया पुत्र हरिओम प्रकाश अहलूवालिया निवासी कोर्ट रोड निरंकारी डेरी के सामने थाना सदर बाजार, सहारनपुर, जो किसी कार्य से जा रहे थे, कि उनका मोबाइल फोन (सैमसंग कंपनी का), रेलवे रोड स्थित चौकी के सामने गिर गया तथा कुछ समय पश्चात चौकी कैम्प पर तैनात आरक्षी 1324 विनोद कुमार द्वारा उक्त मोबाइल को उठाकर देखा तो मोबाइल स्वीच ऑफ था। तभी उक्त आरक्षी द्वारा मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया गया और मोबाइल मालिक के बारे में जानकारी कर उक्त मोबाइल को उसके मालिक अनूप अहलूवालिया उपरोक्त को सुपुर्द किया गया। मोबाइल पाकर मोबाइल मालिक काफी खुश हुये और चौकी इंचार्ज समेत समस्त पुलिस कर्मियों की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।